



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:22543

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 2658 सन् 2026

प्रशांत शुक्ला

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ एवं अन्यविरोधी पक्षकार

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : अनुराग सिंह

विरोधी पक्षकार(रों) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 16

माननीय न्यायामूर्ति श्री प्रकाश सिंह

अधिवक्ता श्री सौरभ सिंह ने विरोधी पक्षकार संख्या 2 की ओर से वकालतनामा दाखिल करके उपस्थिति दर्ज कराई है और इसे अभिलेख में ले लिया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग सिंह, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, विरोधी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ सिंह की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।

इस आवेदन के माध्यम से, आवेदक ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 504 और 506 के अंतर्गत वाद अपराध संख्या 226 सन् 2020 में दायर की गई आरोपपत्र संख्या 01 सन् 2020 को रद्द करने और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिनियम थाना इटौंजा जिला लखनऊ में पारित संज्ञान आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की है।

आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ भ्रम के कारण यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी और ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद दोनों पक्ष आपस में मिले और उन्होंने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने विवादों को सुलझा लिया, जिसे 6 नवंबर 2025 को लिखित रूप में भी दर्ज कर लिया गया है। अपने तर्कों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अब दोनों पक्षों ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने सभी विवादों को समाप्त कर दिया है, इसलिए आवेदक के विरुद्ध आगे की आपराधिक कार्यवाही व्यर्थ होगी और आवेदक को परेशान करने के समान होगी।

अपने तर्कों को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि इस माननीय न्यायालय ने दिनांक 17.11.2025 के आदेश द्वारा धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता संख्या 9875/2025 के अंतर्गत दायर आवेदन में समझौते के सत्यापन के लिए मामले को संदर्भित किया था और उक्त आदेश के अनुपालन में, दोनों पक्ष निचली अदालत के समक्ष उपस्थित हुए थे और दिनांक 06.11.2025 के समझौते के दस्तावेज का सभी संबंधित पक्षों की उपस्थिति में सत्यापन किया गया था और सत्यापन का आदेश अधीनस्त न्यायालय द्वारा दिनांक 30.01.2026 को पारित

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि अब मामले में पक्षों के बीच समझौता हो गया है, और इसलिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 504 और 506 के अंतर्गत आपराधिक वाद संख्या 226/2020 में धारा 115(2), 351(2), 352 भारतीय न्याय संहिता और 3(i)ध, 3(2) बनाम अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एक्ट थाना इटौंजा जिला लखनऊ में दायर आरोप पत्र की कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान आवेदक का वाद **रामावतार बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2021, एससीसी ऑनलाइन एससी 966** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपात के अंतर्गत पूरी तरह से आता है और उन्होंने अनुच्छेद संख्या 9, 10, 11 और 16 का हवाला दिया है, जिन्हें नीचे उद्धृत किया गया है:

“9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद, हमारा मत है कि इस अपील में हमारे विचार के लिए दो प्रश्न हैं। पहला, क्या संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग 'गैर-समझौता योग्य अपराध' से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए किया जा सकता है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही रद्द करने की शक्ति को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिनियम जैसे विशेष कानूनों से उत्पन्न अपराधों तक बढ़ाया जा सकता है?

10. जहाँ तक पहले प्रश्न का संबंध है, रामगोपाल एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में इस न्यायालय के हालिया निर्णय का सीधा उल्लेख करना अनुचित होगा, जिसमें हम दोनों न्यायाधीशों (माननीय एन.वी. रमना, मुख्य न्यायाधीश और माननीय सूर्यकांत, न्यायमूर्ति) की दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष एक समान प्रश्न था। सकारात्मक उत्तर देते हुए, यह स्पष्ट किया गया है कि धारा 320 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय के क्षेत्राधिकार को संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत इस न्यायालय में निहित अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग के विरुद्ध निषेध के रूप में नहीं माना जा सकता है और न ही धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध है। आगे यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 142 या धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने का मानदंड पूर्ण न्याय करना होगा। इसलिए, यह न्यायालय या उच्च न्यायालय, जैसा भी मामला हो, अपराध की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पीड़ित/

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

शिकायतकर्ता ने स्वेच्छा से समझौता कर लिया है, अपनी-अपनी संवैधानिक/ अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को रद्द कर सकता है।

11. रामगोपाल (उपरोक्त) मामले में न्यायालय ने आगे यह प्रतिपादित किया कि गैर-जघन्य अपराधों या मुख्य रूप से निजी प्रकृति के अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को अपील स्तर सहित कार्यवाही के किसी भी चरण में रद्द किया जा सकता है। हालांकि, न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि बेईमान अपराधी क्रूर बल, धमकियों, रिश्वत या अन्य ऐसे अनैतिक और अवैध साधनों के माध्यम से समझौता करके अपने आपराधिक दायित्वों से बचने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए न्यायालय ने चेतावनी दी कि जिन मामलों में दोषसिद्धि के बाद समझौता होता है, उनमें न्यायालयों को, अन्य बातों के अलावा, समझौते के तरीके के साथ-साथ संबंधित घटना से पहले और बाद में आरोपी के आचरण की सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए। निष्कर्ष निकालते हुए, न्यायालय ने कुछ दिशानिर्देश भी तैयार किए और कहा:

“19 फिर भी, हम दोहराते हैं कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के संदर्भ में व्यापक शक्तियों का प्रयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए: (i) अपराध की प्रकृति और समाज की चेतना पर उसका प्रभाव; (ii) यदि कोई चोट है तो उसकी गंभीरता; (iii) आरोपी और पीड़ित के बीच समझौते की स्वैच्छिक प्रकृति; और (iv) कथित अपराध के घटित होने से पहले और बाद में आरोपी व्यक्तियों का आचरण और/या अन्य प्रासंगिक विचार।” [ज़ोर दिया गया]

16. दूसरी ओर, यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि विचाराधीन अपराध, यद्यपि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत आता है, मूलतः निजी या दीवानी प्रकृति का है, या जहाँ कथित अपराध पीड़ित की जाति के कारण नहीं किया गया है, या जहाँ कानूनी कार्यवाही जारी रखना विधि का दुरुपयोग होगा, तो न्यायालय कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसी प्रकार, जब किसी समझौते के आधार पर कार्यवाही रद्द करने की प्रार्थना पर विचार किया जाता है, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि यदि विचाराधीन अपराध बिना दण्ड के रह जाता है, तब भी अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य का उल्लंघन या उसमें कमी नहीं आएगी, तो मात्र इस तथ्य से कि अपराध किसी 'विशेष कानून' के अंतर्गत आता है, यह न्यायालय या उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अपनी-अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा।”

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दूसरी ओर, विरोधी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी आवेदक के पक्ष का समर्थन किया है और उनका कहना है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है और अब दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है, इसलिए आवेदक के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है।

दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उपरोक्त दलीलों पर कोई आपत्ति नहीं है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दलीलों पर विचार करते हुए, मैं पाता हूँ कि पक्षकारों के बीच 06.11.2025 को समझौता हुआ था और उक्त समझौते का सत्यापन 30.01.2026 को किया गया था और अब, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के बयान के अनुसार, वे उपरोक्त मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, जो उपरोक्त आपराधिक वाद संख्या 226/2020 से उत्पन्न हुआ है।

उपरोक्त को देखते हुए, चूंकि आवेदकों और विरोधी पक्षकारों ने 4.12.2026 को समझौता कर लिया है और अब कोई विवाद शेष नहीं है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2003) 4 एससीसी 675; निखिल मर्चेंट बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो [2008] 9 एससीसी 677; मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य (2008) 16 एससीसी 1; ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 303; और नरेंद्र सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एससीसी 466** में दिए गए निर्णयों के मद्देनजर उपर्युक्त आपराधिक मामले में आगे की आपराधिक कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए।

तदनुसार, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 504 और 506 के अंतर्गत वाद अपराध संख्या 226 सन् 2020 में दायर की गई आरोप पत्र संख्या 01 वर्ष 2020 के अनुसरण में प्रारंभ की गई संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, 115(2), 351(2), 352 भारतीय न्याय संहिता और 3(i)ध, अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3(2) बनाम अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिनियम थाना इटाउंजा जिला लखनऊ में, और सत्र संख्या 551 वर्ष 2021 में पारित संज्ञान आदेश को एतद्वारा **रद्द** किया जाता है।

समझौता पत्र इस आदेश का हिस्सा होगा।

इसके परिणामस्वरूप परिणाम भुगतने होंगे।

आवेदन को तदनुसार **स्वीकार** कर लिया गया है।

मार्च 31, 2026

मयंक

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।